भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1755**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु प्रस्ताव**

**1755. डा॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामीः**

 क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ‘निर्भया फंड’ के तहत विभिन्न प्रस्तावों का निधियन कर रही है, जिनका लक्ष्य देशभर में महिलाओं और बच्चों के कल्याण, संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उसमें सुधार लाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों; जिनका लक्ष्य महिलाओं और बच्चों का कल्याण, संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना भी है; पर अभी निर्णय लेना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

 डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में वृद्धि करने के उद्देश्‍य से पहलों के क्रियान्‍वयन के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत विभिन्‍न प्रस्‍तवों का निधियन कर रही है।

अब तक निर्भया कोष के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों और राज्‍य सरकारों से महिला सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में 26 प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन और सिफारिश की जा चुकी है, जो क्रियान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) : निर्भया कोष से निधियन के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के अन्‍य मंत्रालयों/विभागों से समय-समय से प्राप्‍त प्रस्‍ताव विभिन्‍न स्‍कीमों/परियोजनाओं का मूल्‍यांकन और सिफारिश करने के लिए गठित अधिकार प्राप्‍त समिति के समक्ष रखे जाते हैं। अधिकार प्राप्‍त समिति ने अन्‍य बातों के साथ-साथ 8 शहरों के संबंध में, जिनमें चैन्‍नई भी शामिल है, 'सुरक्षित शहर' पर 425.06 करोड़ रुपये की मूल्‍यांकित लागत पर एक परियोजना का मूल्‍यांकन और सिफारिश की है।

\*\*\*\*\*\*